**न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली।**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 61/2025

सावेज पुत्र इलियास, निवासी मोहल्ला गुजरान, कस्बा व थाना गंगोह, जिला सहारनपुर।

**.....आवेदक/अभियुक्त,**

**बनाम**

राज्य

**..... विपक्षी,**

मु.अ.सं.– 528/2024,
धारा– 109(1) बी०एन०एस० व
3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना– झिंझाना, जिला शामली।

**दिनांक :–17.01.2025**

आवेदक/अभियुक्त **सावेज** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता सलमान पुत्र इलियास ने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि वह अभियुक्त का भाई व पैरोकार है एवं तथ्यों से परिचित है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना –पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो सत्र न्यायालय न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर कोई फायर या हमला नहीं किया है, न ही उससे किसी प्रकार का कोई हथियार या तमंचा या कारतूस बरामद हुआ है। आवेदक/अभियुक्त का दिखायी गयी तथाकथित घटना से किसी प्रकार का कोई वास्ता या मतलब नहीं है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही वह किसी अन्य वाद में वांछित है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 26.12.2024 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 26.12.2024 को उपनिरीक्षक, सचिन कुमार मय हमराह थाना क्षेत्र में वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था चैकिंग सन्दिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मामूर थे। कुछ समय बाद आर.टी. सैट पर थाना झिंझाना से सूचना प्राप्त हुई कि एक सैन्ट्रो कार में बदमाश, जो जंगल ग्राम उदपुर में गौकशी की घटना को अंजाम दे रहे थे, पुलिस पर फायरिंग करते हुए गाड़ी लेकर भागे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल बिडौली की तरफ से आने वाले वाहनों की सघनता से जांच करने लगे, कुछ देर बाद बिडौली की ओर से एक गाड़ी में बदमाश आते दिखायी दिये, जिन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। कुछ समय बाद एक पुलिस मुठभेड़ की घटना में घायल अवस्था में गाड़ी चला रहे बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक अदद तमचा 315 बोर, नाल में एक फंसा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ, उक्त बदमाश ने अपना नाम मुकर्रम पुत्र मनव्वर बताया तथा इसकी जामातलाशी से एक अदद मोबाईल ओप्पो, दो जिन्दा कारतूस व 18,000/–रुपये नकद बरामद हुए। पास ही दूसरा बदमाश को भी घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक अदद तमचा

315 बोर, नाल में एक फंसा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ, उक्त बदमाश ने अपना नाम सावेज पुत्र इलियास बताया तथा इसकी जामातलाशी से एक जिन्दा कारतूस, एक मोबाईल मोटोरोला व 16,000/–रुपये नकद बरामद हुए। अभियुक्तगण से बरामद गाड़ी सैन्ट्रो का कागजात तलब किये तो नहीं दिखा सके। फलस्वरूप थाना झिंझाना पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा109(1) बी.एन.एस. व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कराया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक/ अभियुक्त पर पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर करने तथा एक अदद तमचा 315 बोर, नाल में एक फंसा एक खोखा कारतूस, एक जिन्दा कारतूस, एक मोबाईल मोटोरोला व 16,000/–रुपये नकद बरामद होने का आरोप है। घटना दिनांक 26.12.2024 की है, जब पुलिस बल चैकिंग कर रहा था तो आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्त मुकर्रम एक सैन्ट्रो कार पर आये और पुलिस को देखकर भागने लगे तथा पुलिस द्वारा पीछा करने पर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। घटना में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है, बल्कि अभियुक्तगण को ही घायल होना बताया जाता है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, सभी साक्षीगण पुलिसकर्मी हैं, जिनके डराने, धमकाने की सम्भावना बहुत क्षीर्ण है। आवेदक/अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। आवेदक /अभियुक्त दिनांक 26.12.2024 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का किसी अन्य आपराधिक मुकदमे का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उसकी पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य प्रकाश में आया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना यह न्यायालय जमानत का पर्याप्त आधार पाता है। तदानुसार जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सावेज** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को अंकन 1,00,000/(रू० एक लाख) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इसी धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त दौराने विचारण साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं और न ही उन्हें प्रभावित करेगा।
2. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आता रहेगा एवं विचारण में सहयोग करेगा।

प्रभारी,
सत्र न्यायाधीश,
शामली स्थित कैराना।